न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2012 (GCMS 2012/00039)	03.09.2012	15.06.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

अधीक्षण अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :– भैरूलाल सालवी — राजकीय अधिवक्ता
दिलीप जैन — अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म तालाब पेटा गे.मु. होकर गत भू–प्रबंध में बिलानाम सरकार दर्ज थी।

उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 206 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 207 रकबा 10.45 हैक्टेयर बने जिसमें से आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर है जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में विद्युत विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में विद्युत विभाग के नाम दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 112 दिनांक 17.11.1998 से दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कॉर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 4 के विरूद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एवं पेटा के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है जिसके अनुसार मौके की व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन कर उक्त आराजी विद्युत विभाग़ के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कर माननीय न्यायालय राजस्थाई हाई कॉर्ट जोधपुर के निर्णयानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते है। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कॉर्ट जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर को बिलानाम सरकार तालाब पेटा दर्ज की जावें।

इस पर प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस पर दिनांक 23.10.2012 को अप्रार्थी की और से आधिवक्ता दिलीप जैन हाजिर एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 25.08.2014 को अप्रार्थी की और से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्ति में अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये रेफरेंस प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा भूमि की बाजार दर 6,18,105/– रूपये निगम से वसूल कर दिनांक 13.05.1998 को आवंटित की जिसका संशोधित आदेश 19.11.2001 को जारी किया गया एवं उसकी लीज डीड का उप–पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग चित्तौड़गढ़ ने पंजीयन कराया गया है। और तत्पश्चात् इस पर तत्कालीन विद्युत मण्डल द्वारा लाखों रूपये की लागत लगा कर जीएसएस स्थापित किया गया। इस प्रकार सन् 1998 से यह भूमि विद्युत मण्डल के कब्जे में ली जाकर जीएसएस स्थापित है और यह तथ्य प्रार्थी की जानकारी में सन् 1998 से ही है। इसलिए अब इतने लम्बे अर्से के बाद प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र इसी आधार पर प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। विपक्षी तत्कालीन राजस्थान विद्युत मण्डल को ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी संख्या 202 मी. रकबा 0.10 हैक्टेयर आराजी संख्या 206 रकबा 0.04 हैक्टेयर आराजी संख्या 207/1 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल 0.44 हैक्टेयर भूमि कार्यालय आदेश क्रमांक 699 दिनांक 13.05.1998 से प्रचलित कृषि भूमि की बाजार दर कुल कीमत 618105/– रूपये वसूल कर संशोधित आदेश दिनांक 19.11.2001 को लीज डीड जारी करने का आदेश जारी किया गया। यह सारी आवंटन की कार्यवाही स्वयं प्रार्थी तथा हल्का पटवारी की अनुशंषा पर जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा विद्युत मण्डल को जनहित में एवं राज्य हित में लीज पर आवंटित की गई और उस लीज डीड का जिला कलक्टर द्वारा पंजीयन विभाग में पंजीयन कराया गया है। यह आराजी बिलानाम भूमि होने से जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गई है जो नियमानुसार है। आवंटित भूमि नदी/नाला/कैचमेंट एरिया एवं पेटा भूमि नहीं होने से एवं प्राकृतिक स्वरूप किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गई है। वादग्रस्त आवंटित आराजी तालाब पैटा की भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं होता है इसलिये रेफरेंस का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि जवाब विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र मय हर्जे-खर्चे के निरस्त फरमाया जावें।

दिनांक 15.06.2022 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। राजकीय अधिवक्ता प्रारम्भिक आपत्ति का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहते है। इस पर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रारम्भिक आपत्ति को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रारम्भिक आपत्ति का चिंतन-मनन किया। वकील विपक्षी का प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध में मुख्य कथन मियाद के प्रश्न का है। इस संबंध अधिनियम 1955 की धारा 232 के प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता विपक्षी की प्रारम्भिक आपत्ति खारीज की जाती है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा भूमि किस्म तालाब पेटा गे.मु. होकर गत भू-प्रबंध में बिलानाम सरकार दर्ज थी, उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 206 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 207 रकबा 10.45 हैक्टेयर बने जिसमें से आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर है जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में विद्युत विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में विद्युत विभाग के नाम दर्ज है जो नामान्तरण संख्या 112 दिनांक 17.11.1998 से दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कॉर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 1 व 4 के विरूद्ध होने से नदी/नाला/केचमेंट एरिया एवं पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी तत्कालीन राजस्थान विद्युत मण्डल को ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी संख्या 202 मी. रकबा 0.10 हैक्टेयर आराजी संख्या 206 रकबा 0.04 हैक्टेयर आराजी संख्या 207/1 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल 0.44 हैक्टेयर भूमि कार्यालय आदेश क्रमांक 699 दिनांक 13.05.1998 से प्रचलित कृषि भूमि की बाजार दर कुल कीमत 618105/- रूपये वसूल कर संशोधित आदेश दिनांक 19.11.2001 को लीज डीड जारी करने का आदेश जारी किया गया। यह सारी आवंटन की कार्यवाही स्वयं प्रार्थी तथा हल्का पटवारी की अनुशंषा पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा विद्युत मण्डल को जनहित में एवं राज्य हित में लीज पर आवंटित की गई और उस लीज डीड का जिला कलक्टर द्वारा पंजीयन विभाग में पंजीयन कराया गया है। यह आराजी बिलानाम भूमि होने से जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गई है जो नियमानुसार है। आवंटित भूमि नदी/नाला/कैचमेंट एरिया एवं पेटा भूमि नहीं होने से एवं प्राकृतिक स्वरूप किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं होने से जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गई है। वादग्रस्त आवंटित आराजी तालाब पैटा की भूमि नहीं है ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं होता है इसलिये रेफरेंस का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि परिपत्र दिनांक 16.07.2003 की पालना में जोहड, तालाब, नाडी, आदि की भूमि को नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय राजस्थाई हाई कॉर्ट जोधपुर के निर्णयानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते है। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कॉर्ट जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम मीठारामजी का खेडा की आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर को बिलानाम सरकार तालाब पेटा दर्ज की जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन/मनन/परिशीलन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मीठारामजी का खेडा पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की वर्तमान आराजी संख्या आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर किस्म पेटा एवं आराजी संख्या 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड होकर विद्युत विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो नियमों के विरूद्ध है, नियमानुसार किस्म पेटा भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 का अवलोकन किया। अधिनियम की धाराओं में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board –

The Settlement Commissioner or the Director of Land Records 61[or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings; and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

232. Power to call for record and refer to the Board—

The Collector may call for and examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and, if he is of opinion that the order or decree passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fit:

Provided that the power conferred by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट कि कि ग्राम चित्तौडगढ की आराजी संख्या 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा किस्म तालाब पेटा होकर बिलानाम मेवाड बंदोबस्त में दर्ज है। उक्त आराजी के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नंबर 207 रकबा 10.45 हैक्टेयर कायम किये गये। जिसमें से आराजी नंबर 207/2 रकबा 0.30 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 502/206 रकबा 0.04 हैक्टेयर जो जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में विद्युत विभाग के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इस बाबत नामांतरकरण संख्या 112 दिनांक 17.11.1998 से विद्युत विभाग् के नाम स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। इसके साथ ग्राम मीठारामजी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का खेडा तहसील चित्तौडगढ की आराजी संख्या 85मी. रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा में 3 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता दर्ज रेकार्ड मेवाड बंदोबस्त में दर्ज है जिसकी पुष्ठि प्रार्थी की और से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2018–2022 से होती है। इसके साथ ही प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी द्वारा संपूर्ण राजस्व रेकार्ड का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी संख्या 206 रकबा 0.12 हैक्टेयर साबिक आराजी संख्या 85 मी. से बना हुआ है किन्तु आराजी संख्या 85मी0 रकबा 52 बीघा 7 बिस्वा में 3 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता अंकित है इसके संबंध में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अभिकथन अंकित नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई साबिक रेकार्ड/नक्शा ट्रेस पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म तालाब पेटा की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किस्म तालाब पेटा की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा प्रावधान निम्न प्रकार है :–

16 Land on which Khatedari rights shall not accrue-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म तालाब पेटा की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों से संबंधित तत्कालीन समय का संपूर्ण राजस्व रिकार्ड और खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसके बिना इस भूमि के संबंध में किसी विधिसंगत निर्णय पर नहीं पहुॅचा जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात संवत् 2018 में राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित रही है, उसके पश्चात् कालान्तर में उक्त आराजीयात खातेदारी अधिकारों से दर्ज अभिलिखित की गई है। प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त हस्तगत प्रकरण में संवत् 2018 का ही रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है इसके पश्चात् विवादित आराजीयात का अन्तरण किस प्रकार से हुआ है, प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित किया एवं ना ही इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, ऐसी स्थिति प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं कराया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय/अधिकारियों द्वारा लिए गए विवादित निर्णयों/आदेशों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की विधिकता, नियमितता एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए है, ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण पुनः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को निम्नांकित निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है :–

- विवादित भूमि का संवत् 1993 के पश्चात् किस प्रकार से आवंटन/नियमन किया गया है एवं इस संबंध में संबंधित अभिलेख का परीक्षण कर यह निर्धारित करे कि प्रश्नगत आवंटन व नामान्तरकरण प्रक्रिया नियमानुकुल, वैध एवं औचित्यपूर्ण है या नहीं ?
- विवादित भूमि के जलोट या जलीय निकाय की होने की स्थिति की जांच आवंटन के समय के रेकार्ड एवं वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर किया जावें। समस्त दस्तावेजों, अभिलेख व तथ्यों के साथ आवश्यक हो तो, तहसीलदार चित्तौड़गढ़ नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिसमें अपेक्षित/संबंधित अभिलेख जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न हो एवं अधिनियम की धारा 232 में अंकित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्यों को संयोजित करते हुए प्रार्थना पत्र बोलता हुआ **(SELF SPEAKING)** के रूप में **"Reasoned and speaking"** हो प्रस्तुत करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>15.06.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़